न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 218/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/538**
दायर दिनांक :– 31.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 27.03.2026**

1. खींयाराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी सिमराथल तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. जोराराम पुत्र लिखमाराम जाति विश्नोई निवासी सिमराथल तहसील बाप जिला फलोदी
3. पाबूराम पुत्र लिखमाराम जाति विश्नोई निवासी सिमराथल तहसील बाप जिला फलोदी
4. लिखमाराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई नि. सिमराथल तह. बाप जिला फलोदी **(विलोपित)**

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप
3. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अ.सं. 2 ता 3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि के जमाबंदी खाते तो अलग–अलग दर्ज थे लेकिन नक्शा लट्ठा में जमाबंदी खातों अनुसार तरमीम नहीं हो रखी थी। प्रार्थी की उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है और प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि चारों ओर खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है और खूंटे रोपे गये भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं बिना मौके की जांच किये ही अपने ऑफिस में बैठे ही तरमीम प्रार्थी से बोले–बोले एवं प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही ग्राम सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम करदी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त उक्त तरमीम के विपरीत चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि के भू–नक्शा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया ग्राम सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम की जाती है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि की तरमीम कब्जा से भिन्न है। तहसीलदार बाप के जवाब एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के इकबालिया जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा के विपरित की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया किया जाकर इकबालिया जवाब के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिमराथल पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 12.9418 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 10.2304 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर इकबालिया जवाब के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)